(22)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 25/2007

दायर दिनांकः 12.03.2007

उनवान

1– ललिताबाई जोजे सत्यनारायण (मनोहरलाल शर्मा) पुत्री मोहनलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी पिडावा

–वादीनी

बनाम

1– मोहनलाल वल्द कालूलाल जाति ब्राहमण नि. पिड़ावा तहसील पिड़ावा

2– श्यामबिहारी पिता कालूलाल जाति ब्राहमण नि. पिडावा तहसील पिडावा

3– बालकिशन पिता भंवरलाल जाति ब्राहमण नि. पिड़ावा तहसील पिडावा

4– (मृतक)– रामभरोस पिता भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी पिडावा

4/1 साधना पत्नि रामभरोस जाति ब्राहमण निवासी पिड़ावा तहसील पिडावा

4/2 विजय पिता रामभरोस जाति ब्राहमण निवासी पिड़ावा तहसील पिडावा

4/3 अजय पिता रामभरोस जाति ब्राहमण निवासी पिड़ावा तहसील पिडावा

4/4 प्रिया पिता रामभरोस जाति ब्राहमण निवासी पिड़ावा तहसील पिडावा

5– (मृतक)– दिनेश पिता भंवरलाल जाति ब्राहमण नि. पिडावा तह. पिडावा

5/1– गीताबाई पत्नी दिनेश जाति ब्राहमण निवासी पिडावा

5/2– हिमांशु आ. दिनेश जाति ब्राहमण निवासी पिड़ावा

5/3– देवांशु आ. दिनेश जाति ब्राहमण निवासी पिड़ावा

5/4– देवराज आ. दिनेश जाति ब्राहमण निवासी पिड़ावा

6– (मृतक)– बदामबाई बेवा भंवरलाल जाति ब्राहमण नि.पिडावा तह. पिड़ावा

7– (मृतक)–गुड्डीबाई पुत्री भवरलाल जाति ब्राहमण नि.पिड़ावा तह. पिडावा

8– शशिकला पुत्री भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी पिडावा तहसील पिड़ावा

9– मोहनीबाई बेवा रामगोपाल जाति ब्राहमण निवासी पिडावा तहसील पिड़ावा

10– चन्द्रगौतम दत्तकपुत्र रामगोपाल जाति ब्राहमण नि. पिड़ावा तह. पिडावा

11– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा

– प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(23)

दावा धारा 88, 91, 188,209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषक –
अभिभाषक वादी – श्री हुकुमचन्द कुमावत
अभिभाषक प्रतिवादी सं. 2, 4/1, 4/2, 4/4, 5/1, 5/2, 8– श्री ईश्वरसिंह
अभिभाषक प्रतिवादी स. 3 – श्री विनोद जैन
प्रतिवादी सं. 1, 4/3, 5/3, 5/4 व 9, 10 – एकतरफा
प्रतिवादी सं. 11 – पेराकार सरकार

निर्णय दिनांक : 09.06.2026

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि यह एक वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का मायाखेडी कानूनगों सर्किल धरोनिया तहसील पिड़ावा की जमाबन्दी की संख्या 21 के ख.न. 26 रकबा 2–01 बीघा, ख.न. 30 रकबा 0–16 बीघा, ख.न. 260/28 रकबा 1–13 बीघा कुल किता 3 रकबा 4–10 बीघा लगानी 5.83 रूपये कालूलाल पिता नन्दराम जाति ब्राहमण के खाते में दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम राजपुरा की स. 2062–65 तक की संलग्न है। यह कि अर्सा करीब 15 साल पहले खातेदार कालूराम का इन्तकात हो गया उसके चार पुत्र 1–भंवरलाल 2– रामगोपाल 3– मोहनलाल 4– श्यामबिहारी है। भंवरलाल का इन्तकाल हुए अर्सा करीब 8 साल हुए है उसके तीन लडके 1– बालकिशन 2– रामभरोस 3– दिनेश है तथा शशिकला एंव गुड्डी बाई पुत्रीयां है तथा बदामबाई बेवा भंवरलाल है। इसी प्रकार रामगोपाल का भी इन्तकाल 10 साल पहले हो गया है उसकी बैवा मोहनीबाई है तथा उसका दतक पुत्र चन्द्रगौतम है। इस प्रकार चन्द्र गौतम को छोड़कर के इन्तकाल नं. 344 दिनांक 05.12.2006 से कालूराम खातेदार के तथा भंवरलाल एव रामगोपाल के मरने के बाद फौती इन्तकाल मोहनलाल, श्यामबिहारी पिता कालूलाल, बालकिशन, रामभरोस, दिनेश पिता भंवरलाल शशिकला, गुड्डीबाई पुत्री भंवरलाल बादामबाई वैवा भंवरलाल, मोहनीबाई वैवा रामगोपाल का नाम खाते दर्ज हो चुका है। परन्तु चन्द्रगौतम प्रतिवादी नं. 10 का नाम दर्ज नही हूया है क्योंकि यह रामगोपाल का दत्तक पुत्र है। और बाद में कानूनी

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(24)

अड़चन पैदा नहीं हो इसलिए इसे भी प्रतिवादी न. 10 बनाया गया है। यह कि वादनी एवं प्रतिवादीगण के बीच में पैरा सं. 3 अनुसार शजरे के मुताबिक रिश्ता है। यह कि मृतक कालूलाल ने अपने जीवनकाल में दिनांक 5–2–1978 को नाथूलाल मुंदड़ा, गौप्रसाद शर्मा, समरसिंह, ललीताबाई के विवाह के वक्त ग्राम राज्सुरा में वर्णित आराजी वैदिक हिन्दु धर्म के रिती रिवाज के अनुसा ललिताबाई को कन्यादार में वक्त शादी के दे दी थी तब से ही वादिनी वाद का पैरा नं 1 में वर्णित आराजीयात की खातेदार मालिक की हैसियत से काबिज होकर आज तक काश्त करती चली आ रही है इस प्रकार वाद के पैरा नं 1 में वर्णित आराजी 4–10 बीघा वादिनी का स्त्रीधन है। यह कि कालूराम के मृत्यु उपरांत गवाहान दिनांक 6–7–91 को 5 रूपये के स्टाम्प पर ग्राम राजपुरा की आराजीयात में जो उनके पिता कालूराम जी से प्राप्त होने वाली थी तथा कालूराम जी ने उनके जीवनकाल में वाद के पैरा 1 में दर्शायी आराजी ग्राम राज्पुरा की जो कालूराम जी के पास थी उसको वादिनी ललिताबाई को देने के लिए रूवरू गवाहान 5 रूपये के स्टाम्प पर इकरारनामा लिखकर अपना हकत्याग दिया था और लगभग 5 बीघा जमीन ललिताबाई के पास रखने के लिए इकरार कर दिया था। जिसमें प्रतिवादी मोहनलाल व प्रतिवादी श्यामबिहारी की भी स्वीकृति थी जिसकी वजह से वादिनी वाद के पैरा 1 में वर्णित आाराजीयात रकबा 4–10 बीघा लगानी 5.83 रूपये का खातेदार घोषित करवाकर अलग से खाते बन्धवाने की कानूनी अधिकारी है। यह कि रामगोपाल ने अपने जीवनकाल में चन्द्रगौतम को गौद रखा था परन्तु इन्तकाल नं 344 दिनांक 5–12–06 ग्राम राजपुरा में उसके नाम पर इन्तकाल तस्दीक नही हूवा है परन्तु बाद में कोई कानूनी अडचन पैदा नही हो इसलिए चन्द्रगौतम को भी प्रतिवादी नं 10 बनाया गया है। यह कि वादिनी वाद के पैरा 1 में वर्णित आराजियात किता 3 कुल रकबा 4–10 बीघा लगानी 5.83 रूपये वाके ग्राम राजपुरा पर सन् 1978 से काबिज चली आ रही है। तथा लगान भी वादिनी ही अदा कर रही है जिसकी वजह से वादिनी वाद का पैरा नं 1 में वर्णित आराजी को अलग से खाते बन्धवाने की अधिकारी है। यह कि दिनांक 5–12–06 इन्तकात नं

उपखण्ड अधिकारी

(25)

344 से ग्राम राजपुरा से प्रतिवादी बालकिशन, रामभरोस, दिनेश पिसरान भंवरलाल शशिकला, गुड्डीबाई पुत्रियां भंवरलाल बादामबाई बैवा भंवरलाल का अवैधानिक रूप से नाम दर्ज हो गया है जिसकी अपील भी वादिनी ने कर रखी है अब प्रतिवादीगण बालकिशन, रामभरोस, दिनेश, शशिकला, गुड्डीबाई बादामबाई भी इन्तकाल तस्दीक होने की वजह से उनका 1/4 हिस्सा अन्य कहीं दूसरी जगह बैचना चाहते है जिसका की उनको कानूनी हक नहीं है विवादग्रस्त जमीन पर उनका कहीं पर भी कब्जा नहीं है। और यदि वे सफल हो गए तो वादिनी का दावा करना व्यर्थ हो जावेगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में पूर्ण नहीं की जा सकेगी। जिसकी वजह से वादिनी प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादग्रस्त आराजी को वाद के पैरा नं 1 में वर्णित है को प्रतिवादीगण कहीं रहन या बय नही करने बाबात वादिनी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी है। यह कि प्रतिवादीगण बालकिशन, रामभरोस, दिनेश, शशिकला, गुड्डीबाई बादामबाई ने दिनांक 28–2–07 को उनका नाजायज हिस्सा 1/4 नाजायज रूप से बैचने की धमकी दी मना करने पर गाली गलौच करने लगे वाद का कारण उत्पन्न हूआ। यह कि ग्राम राजपुरा पटवार क्षेत्र मायाखेड़ी की आराजीयात का रिकार्ड तहसीलदार तहसील पिड़ावा रखते है इसलिए उन्हें भी पक्षकार बनाया गया है। यह कि दावा श्रीमान के श्रवण योग्य होकर उचित कोर्ट फीस पर विना देरी के अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमावे –

अ– वाके ग्राम राजपुरा पटवार क्षेत्र मायाखेड़ी कानूगो सर्किल धरोनिया की आराजी जमाबन्दी की संख्या 21 के ख.न. 26 रकबा 2–01 बीघा, ख.न. 30 रकबा 0–16 बीघा, ख.न. 260/28 रकबा 1–13 बीघा कुल किता 3 रकबा 4–10 बीघा लगानी 5.83 रूपये का वादिनी को खातेदार घोषित करके अलग से खाते बांधने की डिक्री प्रदानं करे।

ब– वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान करे कि प्रतिवादीगण वाद के पैरा स. 1 में वर्णित आराजीयात को कहीं रहन बय नही करे तथा वादिनी के कब्जे काश्त में

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मदाखलत मजाहमत नही करे तथा किसी अन्य से नही करायें। तथा वादिनी को बेदखल नही करने बाबत वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान करे।

स– अन्य दादरसी जो बइन्सापन बनजदीकी वादिनी हो दिलाई जाये।

द– खर्चा मुकदमा दिलाया जाये।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगन 2 लगायत 9 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की मद नं. 1 में आराजी होना स्वीकार है। यह कि वाद पत्र की मद नं 2 आंशिक स्वीकार है। चन्द्रगौतम प्रतिवादी नं. 10 रामगोपाल का दत्तक पुत्र नही है। यह कि वाद पत्र की मद नं. 3 में शजरा खानदान गलत बनाया है चन्द्रगोतम मृतक रामगोपाल का दत्तक पुत्र नही है। यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 4 गलत हे स्वीकार नहीं है। यह कि वाद पत्र की मद नं. 5 गलत है स्वीकार नही है। विवादित आराजी पुश्तेनी हे और प्रतिवादी नम्बर 10 व वादनी को छोड़कर सभी का हिस्सा है। यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 6 गलत है और स्वीकार नही है। यह कि वाद पत्र की मद नं. 7 गलत है और स्वीकार नहीं है। यह कि वाद पत्र की मद नं. 8 गलत है और स्वीकार नहीं है। विवादित जायदाद में प्रतिवादी का हक एवं हिस्सा है और इसीनुसार प्रतिवादीगण काबिज है। यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 9 गलत है स्वीकार नही है। यह कि वाद पत्र की मद नं. 10 जवाब की मोहताज नहीं है। यह कि वाद पत्र की मद न. 11 स्वीकार नहीं है। वाद वादी मियाद बाहर है। वादी द्वारा चाही गयी सहायता स्वीकार नही है। वादी किसी प्रकार की कोई सहायता पाने की पात्र नही है। वाद वादी मय खर्चा खारिज किया जावे। **विशेष आपत्तियां** – यह कि वादनी ने गलत तथ्यों के आधार पर यह दावा पेश क्रिया है। विवादग्रस्त आराजीयात को वादिनी ने कन्यादान में देना बताया है जबकि कन्यादान की लिखापढी के वक्त वादनी की उम्र ही मात्र दो साल के लगभग थी। जो अपने आप में ही साबित हे कि वादिनी व वादनी के पिता मोहनलाल प्रतिवादी नम्बर एक व वादिनी के सगे

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(27)

भाई चन्द्र गौतम द्वारा पुश्तेनी आराजीयात को हड़पने के लिये साजिश रची है कोई दस्तावेज है तो भी यह फर्जी तैयार किया गया है। यह कि विवादग्रस्त आराजी से वादिनी का कोई हक एवं हिस्सा नहीं है। विवादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण के पूर्वजों की है और उक्त जायदाद के प्रतिवादीगण वारीस होने से हिस्सेदार है व मौके पर भी इसी अनुसार काबिज है। यह कि विवादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं. 3 लगायत 8 का 1/4 हिस्सा व 1/4 हिस्सा श्याम बिहारी प्रतिवादी नं. 2 का एवं 1/4 हिस्सा मोहनलाल का है। रामगोपाल प्रतिवादी फोत हो गया है। रामगोपाल प्रतिवादी के हिस्से पर उसकी बेवा काबिज है। चन्द्रगोतम वादिनी का सगा भाई है और वादिनी ने गलत तरीके से प्रकरण में व रामगोपाल के स्थान पदस्थापित करने के लिये पक्षकार बनाया है। यह कि वादनी ने दावा मियाद बाहर पेश है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादनी मय खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।

3. प्रतिवादी सं. 1, 4/3, 5/3, 5/4 व 9, 10 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे मुताबिक आदेशिका दिनांक 12.07.2007, दिनांक 14.10.2025 को उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

4. वाद के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण हेतु दावे एवं जवाब दावा के अवलोकन के आधार पर निम्न तनकीयात/विवाद बिन्दू कायम की गई –

तनकी नं. 1 – आया वादिया विवादग्रस्त आराजी के खातेदार घोषित होने की अधिकारिणी है।

– जिम्मे वादीया

तनकी नं. 2 – आया वादिनी स्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारिणी है।

– जिम्मे वादीया

तनकी नं. 3 – आया वादिनी का वाद पुश्तेनी आराजी का होने से खारिज होने योग्य है।

– जिम्मे प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

5. वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में इकरारनामा दिनांक 06.07.1991 प्रदर्श 1, तहरीर दिनांक 05.02.1978 मार्क पी 1, ग्राम राजपुरा तहसील पिडावा के खाता सं. 21 की जमाबंदी सं. 2062–65 प्रदर्श 2, भू.प्रबंध सेटलमेंट विभाग सं. 2022–41 का अराल पर्चा प्रदर्श 3, नामा.सं. 157 प्रदर्श 4, नामा.सं. 135 दिनांक 14.08.1989 प्रदर्श 5, जमाबंदी खाता सं. 28/1 सं. 2046–49 प्रदर्श 6, जमाबंदी खाता सं. 29 सं. 2050–53 प्रदर्श 7, जमाबंदी खाता सं. 24 सं. 2062–65 प्रदर्श 8, जमाबंदी खाता सं. 28 सं. 2054–57 प्रदर्श 9, नामा. सं. 344 प्रदर्श 10, तहसीलदार पिडावा का पत्र दिनांक 30.12.2023 प्रदर्श 11, मौका रिपोर्ट दिनांक 27.12.2022 प्रदर्श 12, जमाबंदी खाता सं. 131 सं. 2074–77 प्रदर्श 13 पेश किये एवं मौखिक साक्ष्य में ललिताबाई पत्नि सत्यनारायण, मोहनलाल पि. कालूराम, मोहनबाई पत्नि रामगोपाल, बृजमोहन पि. जमनालाल, हनुमान प्रसाद पि. नंदकिशोर PW1 to PW 5 के शपथपत्र/बयान कराये।

6. प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में बालकिशन पि. भंवरलाल, शशिकला पि. भंवरलाल DW1 to DW 2 के शपथपत्र/बयान कराये।

7. अभिभाषकगण उभयपक्षकी बहस एकतरफा के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है–

तनकी नं. 1 – आया वादिया विवादग्रस्त आराजी के खातेदार घोषित होने की अधिकारिणी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। ग्राम राजपुरा तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2046–49 प्रदर्श 6, 2050–53 प्रदर्श 7, 2054–57 प्रदर्श 9, 2062–65 प्रदर्श 2 एवं प्रदर्श 8 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 26, 260/28 व 30 किता 3 रकबा 4–10 बीघा कालूलाल पि. नन्दराम जामि ब्राहमण नि. पिडावा के खाते दर्ज रिकार्ड थी। वादीया द्वारा पेश नामा.सं. 344 की पंजिका प्रदर्श 10 के अवलोकन से जाहिर है कि मृतक खातेदार कालूलाल के फोत होने पर फोती नामान्तरण से भूमि 04 पुत्रो– भंवरलाल के वारीसान, रामगोपाल के वारीसान,

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मोहनलाल व श्यामबिहारी के पक्ष में निर्णित किया गया था। उभयपक्ष ने अपने वादपत्र, जवाब दावा, साक्ष्य एवं बहस में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मृतक खातेदार कालूलाल के चार पुत्र– भंवरलाल, रामगोपाल, मोहनलाल व श्यामबिहारी है और कोई पुत्री नहीं है। नामान्तरण के वक्त कालूलाल की बेवा भी फोत हो चुकी थी। दो पुत्र भंवरलाल व रामगोपाल भी कुछ वर्ष पूर्व फोत हो चुके थे। उभयपक्ष मृतक भंवरलाल वल्द कालूलाल एवं मोहनलाल वल्द कालूलाल के वारीसानो को लेकर भी एकमत है। वादीया मोहनलाल की पुत्री है। दोनो पक्षो के मध्य मृतक रामगोपाल वल्द कालूलाल के वारीसान को लेकर विवाद है। यह भी निर्विवादित तथ्य है कि प्रतिवादी सं. 10 चन्द्र गौतम के जन्मदाता पिता मोहनलाल वल्द कालूलाल है। वादीया का कथन है कि उसके भाई चन्द्र गौतम को रामगोपाल व उनकी बेवा मोहनीबाई द्वारा बचपन में ही गोद ले लिया गया था जबकि प्रतिवादी सं. 2 से 8 का कथन है कि रामगोपाल द्वारा ना तो चन्द्र गौतम को कभी गोद लिया गया और ना ही ऐसा कोई लिखित गोदनामा वादीया द्वारा पेश किया गया है।

अभिभाषक वादीया का कथन है कि वादग्रस्त राजकीय भूमि मूल खातेदार काललूाल पि. नन्दराम ब्राहमण को राज्य सरकार द्वारा जरिये नामा. सं. 135 दिनांक 14.08.1984 प्रदर्श 5 एवं 157 दिनांक 23.01.1987 से उप जिला न्यायाधीश झालावाड के आदेश से खाते दर्ज हुई थी और इसलिए कालूलाल की स्वअर्जित सम्पत्ति थी जिसे कालूलाल द्वारा 1978 में अपनी पौती वादीया ललिताबाई के विवाह के अवसर पर कन्यादान के रूप में वादग्रस्त भूमि का स्वैच्छा से दान कर अपना हक व अधिकार वादीया को सौप दिये गये थे। तब से ही वादग्रस्त भूमि पर वादीया का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। खातेदार कालूलाल ने उक्त कन्यादान के संबंध में दिनांक 05.02.1978 को पांच गवाहो की उपस्थिति में एक लिखित तहरीर भी जारी की गई थी। उक्त तहरीर में वादग्रस्त भूमि को वादीया को दान देने और उक्त भूमि पर चारो पुत्रो का कोई हक व अधिकार निहित नहीं होने का अंकन किया है। अभिभाषक वादीया ने आगे तर्क किया कि खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

कालूलाल के फोत होने के बाद दिनांक 06.07.1991 को पांच रु के स्टाम्प पेपर पर उनके पुत्र भंवरलाल ने वादग्रस्त भूमि में से अपना हक वादीया के पक्ष में कर दिया था जिसे शेष दो पुत्रो मोहनलाल व श्यामविहारी ने भी स्वीकृति दी थी। अतः कन्यादान/दानपत्र दिनांक 05.02.1978, लिखित इकरार दिनांक 06.07.1991 एवं 45 वर्षो के कब्जे काश्त के आधार पर वादीया को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

अभिभाषक प्रतिवादी सं. 2 से 8 ने अभिभाषक वादीया की बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि नामा.सं. 135 व 157 प्रदर्श 4 व 5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि 1987 तक खाता सरकार दर्ज थी, ना कि कालूलाल के खाते दर्ज थी। वादीया द्वारा दिनांक 05.02.1978 को वादग्रस्त भूमि को दादा कालूलाल वल्द नन्दराम द्वारा वादीया के विवाह पर एक अपंजीकृत, अनस्टाम्प्ड, बिना नोटरी वाले साधारण पेपर पर दान/कन्यादान करने का कथन किया है जबकि वादीया पीडब्ल्यू 1 ने अपनी जिरह में स्वयं स्वीकार किया है कि उसकी जन्म तिथि 09.05.1974 है तो फिर चार साल की उम्र में शादी होना और चार साल की उम्र से ही वादीया का कब्जा काश्त होना पूर्णतः सारहीन व झूंठा है। वादीया के पिता पीडब्ल्यू 2 मोहनलाल ने भी अपनी जिरह में विवाह के समय वादीया की उम्र चार पांच साल बताई है और विवाह से लेकर आदिनांक तक वादीया का कब्जा नहीं होना स्वीकार किया है। वादीया द्वारा कोई विवाह प्रमाणपत्र भी पेश नहीं किया है। वादग्रस्त भूमि पर खातेदार कालूलाल की मृत्यु के बाद फोती नामा.सं. 344 उनके विधिक वारीसानो के नाम सही खोला गया है जिसे किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक खारीज नहीं किया गया है। अतः एक अपंजीकृत, अनस्टाम्प्ड, बिना नोटरी वाले साधारण पेपर पर दान/कन्यादान के आधार पर वादीया के पक्ष में खातेदारी अधिकारो की घोषणा नहीं की जा सकती है और इसलिए वाद खारीज योग्य है।

बहस उभयपक्ष के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम राजपुरा तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2046–49 प्रदर्श 6, 2050–53 प्रदर्श 7, 2054–57 प्रदर्श 9, 2062–65 प्रदर्श

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

2 एवं प्रदर्श 8 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसं. 26, 260/28 व 30 किता 3 रकबा 4-10 बीघा भूमि सं. 2046 से 2065 तक कालूलाल पि. नन्दराम जाति ब्राहमण नि. पिड़ावा के खाते दर्ज रिकार्ड थी। वादीया द्वारा पेश नामान्तरण पंजिका प्रदर्श 4 व 5 के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम राजपुरा की वादग्रस्त भूमि सन 1983 में खाता सरकार दर्ज थी जिस पर उप जिलाधीश झालावाड़ के आदेश कमांक 207 दिनांक 06.01.1983 से कालूलाल वल्द नन्दराम के पक्ष में नामान्तरण हलक पटवारी द्वारा दिनांक 13.01.1983 को खोला गया था जिसे तहसीलदार पिड़ावा द्वारा दिनांक 14.08.1984 को खारीज कर दिया गया। बाद में उक्त आदेश सं. 207 दिनांक 06.01.1983 के आधार पर ही तहसीलदार पिड़ावा द्वारा नामा.सं. 157 दिनांक 23.01.1987 से वादग्रस्त भूमि को खाता सरकार से कालूलाल वल्द नन्दराम ब्राहमण के खातें दर्ज किया गया था। *अतः साबित है कि वर्ष 1983 से 1987 के मध्य ग्राम राजपुरा की वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि होने से खाता सरकार दर्ज थी। 1983 से पूर्व की कोई भी जमाबंदी वादीया द्वारा पेश नहीं की गई है जिससे यह साबित हो सके कि वादग्रस्त भूमि वक्त कन्यादान या दान दिनांक 05.02.1978 को खाता सरकार दर्ज ना होकर कालूलाल वल्द नन्दराम के खाते दर्ज थी।*

वादीया पीडब्ल्यू 1 ने अपनी जिरह में स्वयं स्वीकार किया है कि उसकी जन्म दिनांक 09.05.1974 है और पांच वर्ष की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। मेरे विवाह में मेरे दादाजी कालूलाल ने मुझे दान दिया है तो पता नहीं है। मेरा ससुराल ग्राम ल्हास तहसील अकलेरा में है और विवाह के समय से जमीन पर मेरा कब्जा चला आ रहा है। पीडब्ल्यू 2 मोहनलाल ने भी पांच साल की उम्र में 1978 में वादीया का विवाह करना और पांच साल की उम्र में भूमि को काश्त नहीं कर सकना स्वीकार किया है। भूमि को उस वक्त ससुराल द्वारा बटाई पर देना स्वीकार किया है। पीडब्ल्यू 4 बृजमोहन नि. अकलेरा ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि मैं पिछले 10-15 सालो से वादग्रस्त भूमि पर नहीं गया हूँ। साक्ष्य प्रतिवादी डीडब्ल्यू 1 ने जिरह में स्वीकारा है कि वादग्रस्त भूमि कालूलाल ने खरीदी थी। वादीया की शादी मेरे

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

सामने हुई थी। उस समय कालूलालजी जिन्दा थे। जमीन कालूलाल के खाते दर्ज थी। वादीया की शादी को 30–35 साल हो गये है। मार्क पी 1 दानपत्र मेने पहली बार अदालत में देखा है इससे पहले नही देखा। जो जमीन कन्यादान में दी है उस पर कब्जा हमारा भी है और कई सालो से चला आ रहा है। इस जमीन पर मेरे भाई–काका सभी का कब्जा है। हम हमारी जमीन पर ललिताबाई को फसल क्यो बोने देगे। डीडब्ल्यू 2 शशिकला ने जिरह में स्वीकार किया है कि मेने कोई दानपत्र नहीं देखा है। फर्जी तरीके से मोहनलाल शर्मा ने दानपत्र तैयार करवाया है जिसका करीब 20 साल पहले पता चल गया था लेकिन हमने किसी थाने या कोर्ट में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया। मेरे दादाजी कालूरामजी की साढे चार बीघा जमीन पर मेरे भाई रामभरोस व दिनेश के परिवार शामालाती खेती करते है। ललिताबाई कोई जमीन नहीं हांकती है। ललिताबाई को जो जमीन दान में दी है वह पडत नहीं है। मेरे भाई ने हांकी है। मेरे भंवरलाल ने कोई तहरीर लिखी हो मुझे मालूम नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में मूल प्रश्न यह नहीं है कि वादीया का चार या पांच साल की उम्र में बालविवाह हुआ था बल्कि मूल प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 05.02.1978 को वादग्रस्त भूमि कालूलाल वल्द नन्दराम के खाते दर्ज थी या नहीं और क्या उक्त एक अपंजीकृत, अनस्टाम्प्ड, बिना नोटरी वाली तहरीर के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा की जा सकती है या नही। वादीया जिस दानपत्र/कन्यादान दिनांक 05.02.1978 के आधार पर खातेदारी की घोषणा चाहती है, वह एक अपंजीकृत, अनस्टाम्प्ड, बिना नोटरी वाला साधारण पेपर है और दानग्रहिता वादीया के हस्ताक्षर नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि एक अपंजीकृत, अनस्टाम्प्ड, बिना नोटरी वाली तहरीर (वसीयत के अतिरिक्त) के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा नहीं की जा सकती है। नामान्तरण पंजिाक प्रदर्श 4 व 5 से यह सावित है कि वादग्रस्त भूमि सन 1983–87 के बीच खाता सरकार दर्ज थी अर्थात कालूलाल वल्द नन्दराम के खाते की आराजी नहीं थी।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(33)

वादग्रस्त भूमि उप जिलाधीश झालावाड के आदेश कमांक 207 दिनांक 06.01.1983 से कालूलाल के खाते दर्ज हुई थी। अतः वादग्रस्त आराजी 1987 में कालूलाल की निजी सम्पत्ति मानी जावेगी लेकिन वादग्रस्त भूमि की वक्त विवाह सन 1977–78 की कोई जमाबंदी वादीया द्वारा पेश नहीं की गई है जिससे यह साबित हो सके कि वक्त कन्यादान वादग्रस्त भूमि कालूलाल के खाते की आराजी थी। जब वादग्रस्त भूमि दिनांक 05.02.1978 को कालूलाल वल्द नन्दराम के खाते दर्ज होना साबित नहीं है तो कालूलाल को दान देने का अधिकार होना भी साबित नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार 100/– से अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति का अंतरण पंजीकृत होना अनिवार्य है। इसी प्रकार भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 35 के अनुसार यदि कोई ऐसा दस्तावेज जिस पर स्टाम्प्ड डयूटी लागू होती है, उचित मूल्य के स्टाम्प पर तैयार नहीं किया गया है तो ऐसे दस्तावेज को किसी भी अदालत में साक्ष्य के रूप में ग्राहय/स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

वादीया द्वारा दिनांक 06.07.1991 की पांच रू के स्टाम्प पेपर पर लिखी जो अपंजीकृत तहरीर पेश की है उस पर कालूलाल के पुत्र भंवरलाल के अतिरिक्त अन्य किसी पुत्र के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त हकत्याग पत्र 100/– से अधिक मूल्य की सम्पत्ति का होने से धारा 17 पंजीयन अधिनियम के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य था। खातेदार कालूलाल का फोती नामा.सं. 344 दिनांक 05.12.2006 को तस्दीक हुआ है। अतः स्पष्ट है कि दिनांक 06.07.1991 को कालूलाल ही रिकार्डेड खातेदार था। कालूलाल के मृत्यु प्रमाणपत्र के अभाव में यह साबित नहीं है कि कालूलाल की मृत्यु दिनांक 06.07.1991 से पूर्व हो चुकी थी या नहीं। जब कालूलाल के वारीसान 1991 में खातेदार कृषक के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं थे तो फिर हकत्याग करने का कोई कानूनी अधिकार ही प्राप्त नहीं थी। वादग्रस्त भूमि पर चार साल की उम्र से यानि 1978 से वादीया का कब्जा होना भी साबित नहीं है। यदि वादग्रस्त भूमि पर वादीया का 12 वर्षो से अधिक पुराना प्रतिकूल कब्जा मान भी लिया जावे तो भी प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

नहीं दिये जा सकते है जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल की वृहत पीठ द्वारा 2011 में अभिनिर्धारित किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तनकी नं. 1 वादीया के पक्ष में साबित नहीं होती है।

तनकी नं. 2 – आया वादिनी स्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारिणी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीया पर है। वादीया वादग्रस्त आराजी की ना तो कभी रिकार्डेड खातेदार कृषक रही है और ना ही तनकी नं. 1 में किये गये विवेचन के आधार पर वादीया खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने की अधिकारी है जबकि प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार कृषक है। धारा 188 आर.टी.एक्ट के लिए पृथम शर्त खातेदार कृषक होना है। अतः हस्तगत प्रकरण में धारा 188 के प्रावधान लागू नहीं होते है। यहां धारा 188 आर.टी.एक्ट का प्रावधानो का अवलोकन करना उचित होगा–

188. Injunction against wrongful ejectment—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion; (b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief; (c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion, (d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

अतः तनकी नं. 2 वादीया के पक्ष में साबित नहीं होती है।

तनकी नं. 3 – आया वादिनी का वाद पुश्तेनी आराजी का होने से खारिज होने योग्य है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वादीया द्वारा पेश नामा.सं. 135 व 157 प्रदर्श 4 व 5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि उप जिलाधीश झालावाड के आदेश कामांक 207 दिनांक 06.01.1983 से कालूलाल के खाते दर्ज हुई थी। अतः वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आराजी 1987 में कालूलाल की निजी सम्पत्ति मानी जावेगी। प्रतिवादीगण द्वारा कोई भी ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति यानि चतुर्थ पुरूष पीढी से अविभाजित रूप में विरासत में पीढी दर पीढी प्राप्त होना साबित होता हो। अतः उनकी नं. 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित नहीं होती है।

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम राजपुरा तहसील पिडावा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 26, 30 व 260/28 कुल किता 3 रकबा 4–10 बीघा अर्थात 1.1381 है. भूमि के संबंध में वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 आर.टी.एक्ट खारीज किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

9. परिणामस्वरूप ग्राम राजपुरा तहसील पिडावा की वादग्रस्त आराजी ख. नं. 26, 30 व 260/28 कुल किता 3 रकबा 4–10 बीघा अर्थात 1.1381 है. भूमि के संबंध में वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 आर.टी. एक्ट खारीज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.06.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/6/26

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

(36)

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 25/2007

दायर दिनांकः 12.03.2007

उनवान

1— ललिताबाई जोजे सत्यनारायण (मनोहरलाल शर्मा) पुत्री मोहनलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी पिडावा

—वादीनी

बनाम

1— मोहनलाल वल्द कालूलाल जाति ब्राहमण नि. पिड़ावा तहसील पिड़ावा

2— श्यामबिहारी पिता कालूलाल जाति ब्राहमण नि. पिडावा तहसील पिडावा

3— बालकिशन पिता भंवरलाल जाति ब्राहमण नि. पिड़ावा तहसील पिडावा

4— (मृतक)— रामभरोस पिता भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी पिडावा

4/1 साधना पत्नि रामभरोस जाति ब्राहमण निवासी पिड़ावा तहसील पिडावा

4/2 विजय पिता रामभरोस जाति ब्राहमण निवासी पिड़ावा तहसील पिडावा

4/3 अजय पिता रामभरोस जाति ब्राहमण निवासी पिड़ावा तहसील पिडावा

4/4 प्रिया पिता रामभरोस जाति ब्राहमण निवासी पिड़ावा तहसील पिडावा

5— (मृतक)— दिनेश पिता भंवरलाल जाति ब्राहमण नि. पिडावा तह. पिडावा

5/1— गीताबाई पत्नी दिनेश जाति ब्राहमण निवासी पिडावा

5/2— हिमांशु आ. दिनेश जाति ब्राहमण निवासी पिड़ावा

5/3— देवांशु आ. दिनेश जाति ब्राहमण निवासी पिड़ावा

5/4— देवराज आ. दिनेश जाति ब्राहमण निवासी पिड़ावा

6— (मृतक)— बदामबाई बेवा भंवरलाल जाति ब्राहमण नि.पिडावा तह. पिड़ावा

7— (मृतक)—गुड्डीबाई पुत्री भवरलाल जाति ब्राहमण नि.पिड़ावा तह. पिडावा

8— शशिकला पुत्री भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी पिडावा तहसील पिड़ावा

9— मोहनीबाई बेवा रामगोपाल जाति ब्राहमण निवासी पिडावा तहसील पिड़ावा

10— चन्द्रगौतम दत्तकपुत्र रामगोपाल जाति ब्राहमण नि. पिड़ावा तह. पिडावा

11— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा

— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

दावा धारा 88, 91, 188,209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषक –

अभिभाषक वादी – श्री हुकुमचन्द कुमावत

अभिभाषक प्रतिवादी सं. 2, 4/1, 4/2, 4/4, 5/1, 5/2, 8– श्री ईश्वरसिंह

अभिभाषक प्रतिवादी स. 3 – श्री विनोद जैन

प्रतिवादी सं. 1, 4/3, 5/3, 5/4 व 9, 10 – एकतरफा

प्रतिवादी सं. 11 – पेशकार सरकार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई......X.............. रूबरू...........X........... मिनजानित मुदई रूबरू ....

ग्राम राजपुरा तहसील पिडावा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 26, 30 व 260/28 कुल किता 3 रकबा 4–10 बीघा अर्थात 1.1381 है. भूमि के संबंध में वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 आर.टी.एक्ट खारीज किया जाता है।

09/6/26

(दिनेश कुमार मीणा आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

निज ....X.................. मुवालिक ....X.......... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशरह ... X.......................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X............ अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 09.06.2026 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज0

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मु0
महन्ताना वकील	मु0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner